

इस्तेशन

माननीय न्यायालय राजस्व बंडल मध्यप्रदेश ग्वालियर म.प्र.

प्रकरण क्रमांक आर-542-1 / 2013

Regd 3407-5114

अजीमुद्दीन पिता स्व. कमरुद्दीन

मोदी मुकुण ने पीठे 1189/1181-आवेदक
जिनय विरुद्ध

म.प्र. शासन आदि

—अनावेदकगण

आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 35 भू-राजस्व संहिता अधिनियम

एवम् सहपठित धारा आदेश 9-नियम 9 सी.पी.सी. के अन्तर्गत आवेदन पत्र

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से निम्नलिखित आवेदन पत्र सादर प्रस्तुत है :-

01. यह कि, उक्त दिनांक को प्रकरण माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थिति एवम् तर्क हेतु नियत था।

02. यह कि, उक्त दिनांक को आवेदक एवम् अधिवक्ता की अनुपस्थिति में प्रकरण खारिज कर दिया गया है। प्रार्थी आवेदक वर्तमान समय बारीश होने के कारण माननीय न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सका तथा ना ही अपने अभिभाषक को सूचित कर पाया। प्रार्थी के अभिभाषक भी किसी कार्य से बाहर गये हुए थे। प्रार्थी की अनुपस्थिति में प्रार्थी का वाद खारिज किया गया है।

03. यह कि, जब प्रार्थी को यह ज्ञात हुआ कि प्रार्थी का रिवीजन अदम पैरवी में खारिज हो गई है प्रार्थी ने अपने मनोनित अभिभाषक से सम्पर्क किया तो प्रार्थी को यह ज्ञात हुआ कि प्रार्थी की अनुपस्थिति में प्रार्थी की रिवीजन निरस्त कर दिया है। प्रार्थी की अनुपस्थिति सद्भावना पर आधारित होकर क्षमा किये जाने योग्य है।

निरन्तर.....2


and An

R 3407-Pran/14

Noti-
17.8.2017
Pran

77 W
आवेक की उतर ले श्री
मुझे सिंह कुशावत अभिभाषक उपस्थित
तक पुने गये। अनुपास्थिति का कारण
समाधान-कारक होने से मूल प्रकाश
पुनर्स्थापित किया जाता है। उक्त
प्रकाश में कोई कार्यवाही शेष नहीं
होने से समाप्त किया जाता है।




अध्यक्ष